परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **हरीश चौधरी और सुषमा चौधरी** को **30.07.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDCP00309949** की राशि **रू.10,63,741/- (रुपए दस लाख तिरसठ हजार सात सौ इकतालीस मात्र)** और **30.07.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **22.10.2019** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.10,63,741/- (रुपए दस लाख तिरसठ हजार सात सौ इकतालीस मात्र) 30.07.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

युनीट नं.पी-401, चौथी मंजिल, टॉवर पाइन, जिसका सुपर एरिया 435 स्के.फीट, ''पेरामाउन्ट गोल्फ फोरेस्ट'' से पहचाने जाने वाली परियोजना में, प्लॉट नं.बीजीएच-ए, साइट -सी (हाउसिंग एक्सटेंशन) फेज-1 पर स्थित, सेक्टर झेटा के सामने, सुरजापुर ग्रेटर नोएडा, नोएडा -201308, उत्तर प्रदेश.

उक्त संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है:
पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम**:टाइटल डीड के अनुसार
उत्तर :टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण**:टाइटल डीड के अनुसार

सही/-
दिनांक :22.10.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान :ग्रेटर नोएडा **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

Genus energizing lives

(CIN: L51909UP1992PLC051997)
(पंजीकृत कार्यालय: जी-14, सेक्टर-63, नोएडा-201307, उत्तर प्रदेश) (फोन: 0120-4227116)
(कॉर्पोरेट कार्यालय: SPL-3, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302022, राजस्थान)
(फोन: 0141-7102400/7102500, फैक्स: 0141-2770319, ई-मेल: cs@genus.in, वेबसाइट: www.genuspower.com)

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को कंपनी के इक्विटी शेयरों का अनिवार्य हस्तांतरण

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (''नियम'') समय-समय पर संशोधित, के अनुसरण में, सभी इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया है, को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष(''आईईपीएफ'')प्राधिकरण को कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि वर्ष 2010-11 तक के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान नहीं किया गया था या दावा नहीं किया था, को समय-समय पर नियत दिनांक पर आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया गया था।

कृपया सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 और उसके बाद के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया है, वर्तमान में कंपनी के पास रखा हैं। संबंधित सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे कंपनी सचिव, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, SPL-3, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302022 (राजस्थान) को उनके हस्ताक्षर के तहत एक पत्र एवम अंडरटेकिंग (जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.genuspower.com पर ''निवेशक'' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।) भेजकर इस तरह के लाभांश जिनका भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया है तथा वर्तमान में कंपनी के पास रखा हैं, का दावा पेश करें तथा लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट की दुसरी अथवा नयी प्रति प्राप्त करे।

कृपया ध्यान दें कि यदि इस मामले से संबंधित सदस्य, जो कि 31 जनवरी, 2020 या अन्य बढ़ी हुई तिथि से पहले पूर्वकथित लाभांश का दावा पेश नहीं करते है जो कि वर्तमान में कंपनी के पास रखा हैं, तो संबंधित इक्विटी शेयर (जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया है), आईईपीएफ प्राधिकरण को कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित नियमों (संशोधित, यदि कोई) के तहत हस्तांतरित कर दिए जायेंगे।

संबंधित सदस्यों और इक्विटी शेयरों का विवरण, जो कि आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी हैं, कंपनी की वेबसाइट www.genuspower.com के अनुभाग''निवेशकों'' पर उपलब्ध हैं।

इस संबंध में व्यक्तिगत पत्रों को संबंधित सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है। इस मामले पर स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, **M/s- Niche Technologies Private Limited, 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No- 7A & 7B, Kolkata-700017; Tel: 033-22806616/6617/6618 Fax: 033-22806619; E-mail: nichetechpl@nichetechpl.com** से माँगा जा सकता हैं। एक बार यदि इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाता हैं, तो उसके बाद यह शेयर केवल नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिए जा सकते हैं।

स्थान: जयपुर हस्ताक्षर
दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019 अंकित झांझरी
कम्पनी सचिव

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट
चैन्नई-600031, टेली: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564 4022
CIN: L65110TN2014PLC097792

परिशिष्ट IV (नियम 8(1))
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर **08.02.2019** तक उक्त सूचना में वर्णित **रु. 1188868.24/- (रुपए ग्यारह लाख अठासी हजार आठ सौ अड़सठ और पैसे चौबीस केवल)** का भुगतान करने के लिए ऋणी, सह-ऋणी, और गारंटरों **1. रेसुद्दीन सुभरति, 2. शमा मोहम्मद सलीम** को बुलाने हेतु दिनांक **02.02.2019** को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्तियों पर **19 अक्टूबर, 2019** को भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्तियों के साथ किया गया कोई भी लेन-देन **रु. 1188868.24/- (रुपए ग्यारह लाख अठासी हजार आठ सौ अड़सठ और पैसे चौबीस केवल)** व उसपर ब्याज के लिए **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)** के प्रभार का विषय होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अचल संपत्तियों का विवरण

फ्लैट नं. 4, अपर ग्राउंड, प्लॉट नं. ए-38, गंगा विहार कॉलोनी, गांव सद्दुल्लाबाद, परगना व तहसील व जिला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 के सहित संपत्ति के सभी भाग व पार्सल

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2019
स्थान: उत्तर प्रदेश
ऋण खाता सं. 15132607

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मोहम्मद सलीम चौधरी उर्फ मोहम्मद सलीम अब्बासी और श्रीमती खदीजा बेगम** को **24.11.2018** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOI00325031** की राशि **रू.10,25,990/- (रुपए दस लाख पच्चीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र)** और **24.11.2018** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **22.10.2019** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.10,25,990/- (रुपए दस लाख पच्चीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र) 24.11.2018** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा. उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.एसएफ-01,(एम.आइ.जी.), बिना रूफ राइट्स के सामने की तरफ जिसका एरिया 97.77 स्के.यार्डस यानि 81.75 स्के.मी.और सुपर कवर्ड एरिया 880 स्के.फीट दुसरी मंजिल पर प्लॉट नं.ए-2/1 डी.एल.एफ अंकुर विहार में स्थित, ग्राम लोनी, गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश स्कुटर पार्किंग के साथ

उक्त संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है:
पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम**:टाइटल डीड के अनुसार
उत्तर :टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण**:टाइटल डीड के अनुसार

दिनांक :22.10.2019
स्थान :गाज़ियाबाद
सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.

RELIGARE HOME LOANS Values that bind

पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत
केंद्रीय कार्यालय: प्रथम तल, प्रियस ग्लोबल टॉवर, ए-3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301, फोन नं. +91 120 3991000

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

हम एतद्वारा रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि. ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से मांग सूचना जारी की है। इसका सार आपके द्वारा मूलधन ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में की गईं चूकें हैं। बकाया राशि निम्नवत् है:

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम	ऋण खाता नं.	13(2) सूचना की तारीख	प्राप्त ऋण राशि	धारा 13(2) अधिनियम सूचना के अनुसार मांग राशि	डाक पता	बंधक संपत्ति
1.	1. संतोष कुमार पुत्र उमा कुमारी 2. राज कुमारी पत्नी संतोष कुमार	XMHDOUN 00118046 (आवेदन आईडी 701645)	09.09.2019	रु. 7,80,000/-	रु. 7,74,185.92/- (रुपये सात लाख चौहत्तर हजार एक सौ पिचासी और बानवे पैसा मात्र) दिनांक 09.09.2019 को	प्लॉट नं. 46, खाता नं. 478 में से, खसरा नं. 15/1डी, गांव छपरौला, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-203735	**अनुसूची-।।** गांव छपरौला, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-203736 स्थित आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 46 खाता नं. 478 में से, खसरा नं. 15/1डी (माप लगभग 42.73 वर्ग मीटर) के समस्त भाग व खंड। **परिबद्ध:-** पूर्व: प्लॉट नं. 45, पश्चिम: प्लॉट नं. 47, उत्तर: मंदिर भूमि, दक्षिण: रोड 20 फुट चौड़ा
2.	1. सुनील कुमार पुत्र रंजीत सिंह 2. ममता सुनील पत्नी सुनील कुमार	XMI-IDOUN 00055577 (आवेदन आईडी 617736)	09.09.2019	रु. 16,00,000/-	रु. 16,10,729.25/- (रुपये सोलह लाख दस हजार सात सौ उनतीस और पच्चीस पैसा मात्र) दिनांक 09.09.2019 को	एफ-19, पृथ्वी राज लेन, एनडीएमएल फ्लैट्स, निकट खान मार्केट, राजमान सिंह होटल के सामने, दिल्ली-110003 **पता 1:** फ्लैट नं. डी2, तीसरा तल, आवासीय प्लॉट नं. बी 78 व बी 79, खसरा नं. 1212, हयात एन्कलेव, गांव लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201002	**अनुसूची-।।** हयात एन्कलेव, गांव लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद,उ.प्र.-201002 स्थित आवासीय प्लॉट नं. बी 78 व बी 79, खसरा नं. 1212 पर निर्मित संपत्ति फ्लैट नं. डी-2, एच.आई.जी., तीसरा तल, फ्रंट साइड छत अधिकार सहित, (माप लगभग 800 वर्ग फुट, कवर्ड एरिया 74.23 वर्ग मीटर छत अधिकारों सहित) के समस्त भाग व खंड। **परिबद्ध:-** पूर्व: रोड 30 फुट चौड़ा, पश्चिम: प्लॉट नं. बी-50 व बी-51, उत्तर: प्लॉट नं. बी-77, दक्षिण: प्लॉट नं. बी-80

मौजूदा कारणों से हमें लगता है कि आप मांग सूचना से बच रहे हैं। इस प्रकार यह मांग सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है। आपसे इस मांग सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर उपरोक्त राशि को आगे की ब्याज, लागत, प्रासांगिक व्ययों, प्रभारों आदि सहित रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि. को भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि. कर्जदार/ओं की इस प्रत्यभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित किसी या सभी प्रत्यभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। साथ ही आप उपरोक्त प्रत्यभूत परिसंपत्तियों का बिक्री/पट्टे या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निषिद्ध हैं। कृपया नोट करें कि आगे कोई मांग सूचना जारी नहीं होगी।

स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 24.10.2019 **मेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनाशियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति का विवरण (बी)	बकाया राशि (रू.) (सी)
1	कर्ज खाता क्र.HHLRHN00211728 1.राकेश शर्मा 2.मीना रानी	युनीट/अपार्टमेंट नं.सी-2604, पच्चीसवीं मंजिल, ब्लॉक /टॉवर-सी, आरजी लक्जरी होम्स, प्लॉट नं.जीएच-07ए, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश एक कवर्ड कार पार्किंग बिअरींग नं.पीआर-सी-2604 के साथ	रू.36,08,847/- (रूपये छत्तीस लाख आठ हजार आठ सौ सैंतालीस मात्र) 04.10.2019 के अनुसार
2	कर्ज खाता क्र.HHLDMT00276872 1.पुनित कुमार मलिक 2. प्रभुता मलिक उर्फ प्रभुता चौहाण	फ्लैट नं.-1112ए, ग्यारहवीं मंजिल, ब्लॉक हेज़ल-2, जास्मीन ग्रोव, गाज़ियाबाद-201015, उत्तरप्रदेश	रू.31,53,184/- (रूपये इकतीस लाख तिरपन हजार एक सौ चौरासी मात्र) 09.10.2019 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वरा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी क गई है

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शउल्को सहित ऊपर स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार , '' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंति है।

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड
स्थान:ग्रेटर नोएडा(उत्तरप्रदेश)/ गाज़ियाबाद (दिल्ली /एनसीआर) **प्राधिकृत अधिकारी**

STATE BANK OF INDIA

आरएसीपीसी जनकपुरी, ए-1/24, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोन: 011-28502400, फैक्स: 011-28502453

कब्जा सूचना {नियम 8(1) के तहत अचल संपत्ति हेतु}

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम-8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बैंक ने नीचे उल्लिखित खाते और राशि के लिए अधोल्लिखित तारीख को मांग सूचना जारी की थी जिसमें उनसे राशि को उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदारों, जमानतियों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित खाते और राशि के लिए अधोल्लिखित तारीखों को कब्जा ले लिया है।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार व जमानती और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है। संपत्ति का कोई भी लेन-देन राशि और इस पर ब्याज के लिए **भारतीय स्टेट बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति जहाँ सांकेतिक कब्जा लिया गया है, का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	बंधक संपत्तियों (चल/अचल) का विवरण	बकाया राशि (13(2) के तहत सूचना में यथाल्लिखित	मांग सूचना की तारीख
1.	**कर्जदार:-** श्री अरुण यादव और श्रीमती लक्ष्मी यादव एस/डब्ल्यू/ओ श्री चरण सिंह, प्रप्राई.: मेसर्स ऐश ऐडवरटाईजर्स और श्रीमती लक्ष्मी यादव पत्नी श्री चरण सिंह, प्रप्राई.: मेसर्स लक्ष्मी बाग फैक्टरी	श्री अरुण यादव पुत्र श्री चरण सिंह और श्रीमती लक्ष्मी यादव पत्नी श्री चरण सिंह के नाम में सिद्धिपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 स्थित निर्मित संपत्ति नगर निगम नं. 8763 बार्ड नं. 14-बी में, भूमि खंड माप 55 वर्ग गज(लगभग) पर निर्मित, जिसमें भूतल, प्रथम तल और दूसरा तल अपनी छत के साथ और अपनी छत टेरेस अधिकारों के साथ, खसरा नं. 86 का न्यायसंगत बंधन	**रु. 10,97,987.00/-** और ब्याज व अन्य प्रभार	03.08.2019 **कब्जे की तारीख** 21.10.2019

दिनांक- 24.10.2019, स्थान- नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

GENUS POWER INFRASTRUCTURES LIMITED

Genus energizing lives

Regd. Office : G-14, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh
Corporate Office: SPL-3, RIICO Industrial Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022, Rajasthan
Ph.:0141-7102400/500, Fax: 0141-2770319, E-mail: cs@genus.in, Website: www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997

(Rs. in Lacs)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

S. No	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended Sept. 30, 2019	Half-year Ended Sept. 30, 2019	Quarter Ended Sept. 30, 2018	Quarter Ended Sept. 30, 2019	Half-year Ended Sept. 30, 2019	Quarter Ended Sept. 30, 2018
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations	27543.81	54407.59	22335.71	27543.81	54407.59	22335.71
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3324.90	6313.56	1585.05	3890.51	6123.38	338.88
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3324.90	6313.56	1585.05	3890.51	6123.38	338.88
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2425.09	4440.79	1237.46	2950.19	4188.07	(34.94)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2431.04	4438.79	1226.60	2956.14	4186.07	(45.80)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2573.59	2573.59	2573.35	2573.59	2573.59	2573.35
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (Face value of Re.1/- each) (for continuing and discontinued operations) - (not annualised) (Amount in Rs.)						
	Basic :	0.95	1.73	0.48	1.28	1.82	(0.02)
	Diluted:	0.95	1.73	0.48	1.28	1.82	(0.02)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the financial results are available on Company's website at www.genuspower.com and the Stock Exchanges website (www.nseindia.com and www.bseindia.com).
2 The Board reviewed the total order book position of worth Rs. 1,188.54 crores (net of tax).

Sd/-
(Rajendra Kumar Agarwal)
Managing Director & CEO
DIN: 00011127

Place: Jaipur
Date : October 23, 2019

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालय: दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

चल वाहनों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 22.11.2019 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल वाहनों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल वाहनों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **23.11.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

चल वाहन का विवरण

शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक/गारंटर का नाम	वाहन का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
गुडगाँव, सैक्टर-56, श्री विकास कुमार सिंह, मो. 8830786619, फोन: 0124-2385538, 0124-2385539 ईमेल: cb1171@corpbank.co.in	उधारकर्ता: 1) मैसर्स स्टॉर वन पेरिशेबल मूवर्स, फ्लैट नं. 366, तृतीय तल, अग्रवाल मॉर्डन बसर लॉरेंस रोड, केशव पुरम नई दिल्ली-110035 (2) सुश्री साईरा शर्मा (स्वं. श्री संजय शर्मा पुत्र स्वं. श्री बसंत लाल की बहन) (प्रोप. स्टार वन पेरिशेबल मूवर्स) प्लॉट नं. डी-99 भूतल, मानसरोव